केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित
(पूर्व में राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान, मानित वि विद्यालय)
शिक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन
56-57, सांस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058

Ccntra l Sanskrit U niversitj
Established by an Act of Parliament
(Formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan, Deemed to be University)
Under Ministry of Education, Govt. of India
56-57, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi - 110058

F.No.CSU/Ashtaadashi-V/2021-22,/09/2 2 **Dated: 23.03.2022**

To

The negisWar
Sampumanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi,
Jyotish Vibhag, Uttar Pradesh - 221002

Sub.:- Tentative approval of financial assistance under "Ashtaadashi" (18 Projects) **2021-22** - reg..

Str/ Madam,

It gives me immense pleasure to inform you that now, formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan (RSkS) has been promulgated as Cenhal Sanskrit University (CSU), Delhi under the Central Sanskrit Universities Act, 2020 passed by the Parliament and assented to by the President of lndia. Its main objectives are propagation and promotion of Sanskrit language and it is also act as Nodal Agency to the Government of India for implementing its related programmes and policies. Accordingly, CSU/RSkS invited applications for financial assistance under the Ashtaadashi (18 Projects) from the Universities/EducaŁion Institutions/ Organizations vide notification No.CSU/Ashtaadashi Projects-IV/2021-22/ dated 03.03.2021.

further, the Competent Authority has constituted a High-level Committee to examine the proposals, received from various institutions & agencies. Based on the proposal (s) submitted by the concerned institutions/agencies and in terms of the Ashtaadashi Guidelines, the Committee submitted its recommenétations, which is also available on University's website. Tlle recommendations were considered and approved by the GIAC in its 30th meeting held on 11.03.2022 at CSU, H.Q., Delhi, under agenda item No. 30.10.

Now, therefore, I am directed to convey the tentative approval/sanction of the Competent Authority for Grant-in-Aid of **no.i000000/- (Rupees** ten lakh **only),** under Ashtaadashi (18 Projects) for conducting the project i.e. - Shabdashala Project -

W (P.I. - Prof. Amif Kumar Shukla, Co.P.I. - Dr. Madhusudan Mishra, Dr. Maja Pathak).

It is further informed that list of projects recommended by the High-Level Committee under Ashtaadashi is available at University's website w.swskrit.nic.in. You may **kindly go through the recommendations/findings of the Committee and make necessary modifications/rectifications/revised of budget etc.,** and **submit** the proposal **as per recommendations of** the **High-level** Committee, **in prescribed** Form No. Ashtaadashi - I, which is also **a part of the Guidelines** of Scheme, **to University for** final **approval.**

Accordingly, the head of institution/organization will have to submit: -

a. Revised statement of expenditure alongwith project proposal in form no. Ashtaadashi - I, to the University on or before 28.03.2022. (As per to recommendations of the I Iigli-Level Scrutiny Committee).
b. The pre-receipt for **Rs.1000000/-,** duly signed bond paper (Format available in University website), and Audited accounts of last 3 years (2018-19 to 2020-21 see format Ashtaadashi guidelines No.13).

c. The bank account details such as: -

1. Name of the account holder (Institution)
2, Name of the Bank
3. Account number
4. IFSC Code
5. PAN/TIN number
6. for NGOs registered UID number provided by the Govt. of India

The audited statement of accounts/ expenditure, utilization certificate for the sanctioned amount, duly certified by the Chartered Accountant (in original), detailed report on project (soft & hard) copy etc. will have to submit after completion of the first phase of the project in the prescribed proforma (Form No. Ashtaadashi - VII), failing which, further grant cannot be considered. For more details, see guidelines of the Ashtaadashi scheme at CSU website - under Scheme.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

(Prof. R.G. Murali Krishna)
Director (Central Schemes)

F.No.CSU/Ashtaadashi-V/2021-22/10/ k I

Dated: 23.03.2022

To

The Registrar
Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi,
Jyotish Vibhag, Uttar Pradesh — 221 002

Sub.:- Tentative approval of financial assistance under "Ashtaadashi" (18 Projects) 2021-22 - reg..

Sir/Madam,

It gives me immense pleasure *to* inform you that now, formerly Rashtriya Sanskrit Sansthan (RSkS) has been promulgated as Central Sanskrit University (CSU), Delhi under the Central Sanskrit Universities Act, 2020 passed by the Parliament and assented to by the President of India. Its main objectives are propagation and promotion of Sanskrit language and it is also act as Nodal Agency to the Government of India for implementing its related progranunes and policies. Accordingly, CSU/RSkS invited applications for financial assistance under the Ashtaadashi (18 ProJ'ects) from the Universities/Education Institutions/ Organizations vide notification No.PSU/Ashtaadashi Projects-IV/2021-22/ dated 03.03.2021.

Further, the Competent Authority has constituted a High-level Committee to examine the proposals, received from various institutions & agencies. Based on the proposal (s) submitted by the concerned institutions/agencies and in terms of the Ashtaadashi Guidelines, the Committee submitted its recommendations, which is also available on University's website. The recommendations were considered and approved by the GIAC in its 30'^ meeting held on 11.03.2022 at CSU, H.Q., Delhi, under agenda item No. 30.10.

Now, therefore, I am directed to convey the tentative approval/sanction of the Competent Authority for Grant-in-Aid of Rs.400000/- (Rupees five lakh only), under Ashtaadashi (18 Projects) for condiicting the project i.e. - Reprinting of Rare Books Project - W (P.I. - Prof. Amit Kumar Shtikla, **Co.P.I.** - Dr. Madhusudan **Mishra, Dr. Raja** Pathak).

It is further informed that list of projects recommended by the High-Level Committee under Ashtaadashi is available at University's website www.sanskrit.nic.in. You may kindly go through the recommendations/findings of the Committee and make necessary modifications/rectifications/revised of budget **etc., and submit the proposal** as per recommendations of the High-level Committee, in prescribed Form No. Ashtaadashi - I, which is also **a part of** the **Guidelines of Scheme, to University for** final **approval.**

Accordingly, the head of institution/organization will have to submit: -

a. Revised statement of expenditure alongwith project proposal in form no. Ashtaadashi — I, to the University on or before 28.03.2022. (As per to recommendations of the High-Level Scrutiny Committee).
b. The pre-receipt for Rs.400000/-, duly signed bond paper (Format available in University website), and Audited accounts of last 3 years (2018-19 to 2020-21 see format Ashtaadashi guidelines No.13).

c. The bank account details such as: -

1. Name of the account holder (Institution)
2. Name of the Bank
3. Account number
4. IFSC Code
5. PAN/TIN number
6. for NGOs registered UID number provided by the Govt. of India

The audited statement of accounts/expenditure, utilization certificate for the sanctioned amount, duly certified by the Chartered Accountant (in original), detailed report on project (soft & hard) copy etc. will have to submit after completion of the first phase of the project in the prescribed proforma (Form No. Ashtaadashi - VII), failing which, further grant cannot be considered. For more details, see guidelines of the Ashtaadashi scheme at CSU website - under Scheme.

This is issued with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

(Prof. R.G. Murali Krishna)
Director (Central Schemes)

ले० २५५६/२०२१
२१/१२/२०२१

कु० सं० ५७१६/२१
२१/१२/२१

संख्या-108 /2021/2585/सत्तर-4-2021-4(28)/2021

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

FO/VC Sir
For kind information
27/12/2021

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

1. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
2. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
4. महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
5. छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
6. प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
7. डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
8. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
9. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
10. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
11. ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक:28 दिसम्बर, 2021

विषय- प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण गठित विशेषज्ञ समिति से कराया गया। अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-356/रा0उ0शि0प0/01/2021, दिनांक 19.08.2021, पत्र संख्या-388/रा0उ0शि0प0/01/2021, दिनांक 08.09.2021, पत्र संख्या-503/रा0उ0शि0प0/01/2021, दिनांक 18.11.2021 एवं पत्र संख्या-522/रा0उ0 शि0प0/02/2021, दिनांक 08.12.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत संलग्न विवरण के अनुसार प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन रू0 1,09,75,832/-(रूपये एक करोड नौ लाख पचहत्तर हजार आठ सौ बत्तीस मात्र) का अनुदान/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपकरण, शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर, उपभोज्य वस्तुएं आदि/यात्रा व्यय और फील्ड कार्य एवं डाटा कलेक्शन आदि आकस्मिक व्यय पर किया जायेगा।
2. शासनादेश-संख्या-1604/सत्तर-4-2020-1268/2018 दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा परियोजना के अंतर्गत कराये

शोध पाल
प्रभारी
29-12-2021

पत्र० २५५६/२०२१
२९/१२/२०२१

कु० सं० ५७१६/२१
२९/१२/२१

संख्या-108 /2021/2585/सत्तर-4-2021-4(28)/2021

प्रेषक,

अब्दुल समद,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

FO/VC Sir
For kind information
29/12/2021

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

1. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
2. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
4. महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
5. छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
6. प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
7. डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
8. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
9. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
10. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
11. ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक:28 दिसम्बर, 2021

विषय- प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनान्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण गठित विशेषज्ञ समिति से कराया गया। अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-356/रा0उ0शि0प0/01/2021, दिनांक 19.08.2021, पत्र संख्या-388/रा0उ0शि0प0/01/2021, दिनांक 08.09.2021, पत्र संख्या-503/रा0उ0शि0प0/01/2021, दिनांक 18.11.2021 एवं पत्र संख्या-522/रा0उ0 शि0प0/02/2021, दिनांक 08.12.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत संलग्न विवरण के अनुसार प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन रू0 1,09,75,832/-(रूपये एक करोड़ नौ लाख पचहत्तर हजार आठ सौ बत्तीस मात्र) का अनुदान/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपकरण, शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर, उपभोज्य वस्तुएं आदि/यात्रा व्यय और फील्ड कार्य एवं डाटा कलेक्शन आदि आकस्मिक व्यय पर किया जायेगा।

2. शासनादेश-संख्या-1604/सत्तर-4-2020-1268/2018 दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा परियोजना के अंतर्गत कराये

गये शोध कार्यों की निर्धारित समय-सीमा पर समीक्षा की जाएगी एवं प्रगति रिपोर्ट शासन तथा उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाएगी।

3. प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएगे।
4. योजनांतर्गत स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं शोध कार्य के आउट कम शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराये जायेंगे।
5. योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएंगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।
6. धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसका वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा।
7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।
9. इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदो, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नही किया जायेगा।
10. इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
11. उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
12. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के अनुदान को छोडकर शेष विश्वविद्यालयों के अनुदान पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।
13. प्रश्नगत शोध हेतु जो भी उपकरण क्रय किये जाएंगे, शोध/परियोजना पूर्ण होने के उपरांत संबंधित विभाग को हस्तगत कर दिये जाएगे, जिसका उपयोग विभाग द्वारा आगामी शोध परियोजनाओं के लिए किया जायेगा।

2- इस निमित होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-800 अन्य व्यय-13-प्रदेश के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2020, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(अब्दुल समद)

विशेष सचिव।

पी 4 2019 R&D सर्कुलर

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक/वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. संबंधित शिक्षक/शोधकर्ता द्वारा कुलसचिव, संबंधित राज्य विश्वविद्यालय।
7. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
9. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।

44	Dr. Giridhar Mishra (Department of Physics)	Investigations on Thermoelectric Properties of Metal doped ZnO Nanostructures and Their Nanocomposites	उपकरण	250000
			आकस्मिकता	12500
			उपभोज्य सामग्री	50000
			यात्रा/फील्ड वर्क	12500
			योग	325000
45	Dr. Vandana Rai (Department of Biotechnology)	Molecular Screening of Vitamin D Receptor Polymorphisms (FokI and BsmI) and Bone Mineral Density in Rural Population of Eastern Uttar Pradesh.	मैन पावर	336000
			आकस्मिकता	15000
			उपभोज्य सामग्री	200000
			यात्रा/फील्ड वर्क	15000
			योग	566000
	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी			
46	Dr Vijay Kumar sharma (Department of Ved)	पञ्चविधसूत्र एवं मात्रालक्षण का सानुवाद समीक्षण	उपकरण	25000
			मैन पावर	60000
			आकस्मिकता	2500
			उपभोज्य सामग्री	5000
			यात्रा/फील्ड वर्क	2500
			ओवर हेड चार्ज	10000
			योग	105000
	ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ			
47	Prof. Chandana Dey (Department of Home Science)	Provision of nutritional and educational awareness to caregivers in destitute homes of Lucknow mandal on the basis of health status of early childhood aged (0-6 years) Children.	उपकरण	20000
			आकस्मिकता	2500
			उपभोज्य सामग्री	5000
			यात्रा/फील्ड वर्क	10000
			ओवर हेड चार्ज	5000
			योग	42500
			सम्पूर्ण योग	10975832

([illegible] एक करोड़ नौ लाख पचहत्तर हजार आठ सौ बत्तीस [illegible])

(सर्वेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

लै० २५५६/२०२१
२१/१२/२०२१

कु० स० ५७१६/२१
२९/१२/२१

संख्या-108 /2021/2585/सत्तर-4-2021-4(28)/2021

प्रेषक,

अब्दुल समद,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त अधिकारी,

1. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
2. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
4. महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
5. छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
6. प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
7. डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
8. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
9. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
10. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
11. ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ।

FO/VC Sir
For kind information
29/12/2021

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक:28 दिसम्बर, 2021

विषय- प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों मे "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनान्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण गठित विशेषज्ञ समिति से कराया गया। अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-356/रा0उ0शि0प0/01/2021, दिनांक 19.08.2021, पत्र संख्या-388/रा0उ0शि0प0/01/2021, दिनांक 08.09.2021, पत्र संख्या-503/रा0उ0शि0प0/01/2021, दिनांक 18.11.2021 एवं पत्र संख्या-522/रा0उ0 शि0प0/02/2021, दिनांक 08.12.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत संलग्न विवरण के अनुसार प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन रु0 1,09,75,832/-(रूपये एक करोड़ नौ लाख पचहत्तर हजार आठ सौ बत्तीस मात्र) का अनुदान/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपकरण, शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर, उपभोज्य वस्तुएं आदि/यात्रा व्यय और फील्ड कार्य एवं डाटा कलेक्शन आदि आकस्मिक व्यय पर किया जायेगा।
2. शासनादेश-संख्या-1604/सत्तर-4-2020-1268/2018 दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा परियोजना के अंतर्गत कराये

शीलपाल
प्रोग्रामर
29-12-2021

गये शोध कार्यों की निर्धारित समय-सीमा पर समीक्षा की जाएगी एवं प्रगति रिपोर्ट शासन तथा उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाएगी।

3. प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।

4. योजनांतर्गत स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं शोध कार्य के आउट कम शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराये जायेंगे।

5. योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। विश्वविद्यालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएंगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।

6. धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसका वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा।

7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।

9. इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदो, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नही किया जायेगा।

10. इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

11. उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

12. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के अनुदान को छोडकर शेष विश्वविद्यालयों के अनुदान पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

13. प्रश्नगत शोध हेतु जो भी उपकरण क्रय किये जाएंगे, शोध/परियोजना पूर्ण होने के उपरांत संबंधित विभाग को हस्तगत कर दिये जाएंगे, जिसका उपयोग विभाग द्वारा आगामी शोध परियोजनाओं के लिए किया जायेगा।

2- इस निमित होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-800 अन्य व्यय-13-प्रदेश के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2020, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(अब्दुल समद)

विशेष सचिव।

नं 4 2019 R&D यथोपरि

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक/वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ०प्र० प्रयागराज।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. संबंधित शिक्षक/शोधकर्ता द्वारा कुलसचिव, संबंधित राज्य विश्वविद्यालय।
7. अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
9. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

44	Dr. Giridhar Mishra (Department of Physics)	Investigations on Thermoelectric Properties of Metal doped ZnO Nanostructures and Their Nanocomposites	उपकरण	250000
			आकस्मिकता	12500
			उपभोज्य सामग्री	50000
			यात्रा/फील्ड वर्क	12500
			योग	325000
45	Dr. Vandana Rai (Department of Biotechnology)	Molecular Screening of Vitamin D Receptor Polymorphisms (FokI and BsmI) and Bone Mineral Density in Rural Population of Eastern Uttar Pradesh.	मैन पावर	336000
			आकस्मिकता	15000
			उपभोज्य सामग्री	200000
			यात्रा/फील्ड वर्क	15000
			योग	566000
	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी			
46	Dr Vijay Kumar sharma (Department of Ved)	पंचविधसूत्र एवं मात्रालक्षण का सानुवाद समीक्षण	उपकरण	25000
			मैन पावर	60000
			आकस्मिकता	2500
			उपभोज्य सामग्री	5000
			यात्रा/फील्ड वर्क	2500
			ओवर हेड चार्ज	10000
			योग	105000
	ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ			
47	Prof. Chandana Dey (Department of Home Science)	Provision of nutritional and educational awareness to caregivers in destitute homes of Lucknow mandal on the basis of health status of early childhood aged (0-6 years) Children.	उपकरण	20000
			आकस्मिकता	2500
			उपभोज्य सामग्री	5000
			यात्रा/फील्ड वर्क	10000
			ओवर हेड चार्ज	5000
			योग	42500
			सम्पूर्ण योग	10975832

(रुपया एक करोड नौ लाख पचहत्तर हजार आठ सौ बत्तीस मात्र)

(सर्वेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव ।